बिहार सकरार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक-स्था02/02-06/2015 पटना, दिनांक-

प्रेषक,

निदेशक,
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,
बिहार, पटना।

सेवा में,

उप निदेशक(आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशाल, बिहार, पटना।

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2015-16 में आयोजना भिन्न/आयोजना बजट से क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थापना/गैर स्थापना व्यय से वहन हेतु राशि भुगतान के लिए आवंटन के संबंध में। कुल आवंटित राशि रू० 19,17,500/-(उन्नीस लाख सतरह हजार पाँच सौ) रूपये मात्र।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-3429 दिनांक- 01.04.2015 के माध्यम से सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2015 स्वीकृत हो चुका है।

2. कंडिका-02 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है।
3. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष 205- राज्य सांख्यिकी एजेंसी, समूह शीर्ष-राज्य योजना, उप शीर्ष-0101-समग्र सांख्यिकी विकास योजना, विषय शीर्ष-28-01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं मद के अन्तर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड- P/3454022050101 है।
4. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप निदेशक(आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशाल, बिहार, पटना होगें।
5. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।
6. प्रत्येक परिस्थिति में मद्वार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
7. व्यय का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंबन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होगें।
8. आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998, पत्रांक-3429 दिनांक-01.04.2015 तथा वित्त विभाग के पत्रांक-5294 दिनांक-17.06.15 में उल्लेखित निदेश के साथ-साथ, समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।

9. स्वीकृतादेश संख्या-2000 दिनांक 23.12.15 के आलोक में अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के अन्तर्गत वर्ष 2006 से 2012 तक जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के सांख्यिकी भाग के कम्प्यूट्रीकरण एवं तालिका निर्माण के बकाये भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में ही राशि विकलनीय है।

विश्वासभाजन
ह०/-

निदेशक
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

ज्ञापांक- 25 दिनांक- 04-01-2016

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
निदेशक

ज्ञापांक- दिनांक-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
निदेशक

ज्ञापांक- 25 दिनांक- 04-01-2016

प्रतिलिपि:- योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग(बजट शाखा)
2. संयुक्त निदेशक(योजना), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना
3. वरीय संयुक्त निदेशक-सह-मुख्य रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु
4. कार्यालय लेखापाल(दो प्रतियों में)/श्री शशि रंजन प्रसाद सिन्हा, कार्यालय परिचारी (गार्ड फाईल) में चिपकाने हेतु एवं निर्गत प्रशाखा को निर्गत करने एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस आवंटन को निदेशालय के साइट पर अपलोड कर दें।

4/1/16
निदेशक

4/1/16

आवंटन विवरणी

मुख्य शीर्ष–3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष 02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष 205–राज्य सांख्यिकी एजेंसी, समूह शीर्ष–राज्य योजना, उप शीर्ष–0101–समग्र सांख्यिकी विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 का आवंटन विवरणी। जिसका मांग सं०–35 एवं विपत्र कोड–**P/3454022050101** है।

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटित दिया जा रहा है।	13–01 कार्यालय व्यय	28–01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं	कुल योग
1	2	3	4	5
1	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना	–	**1917500**	**1917500**
कुल योग		0	**1917500**	**1917500**

(उन्नीस लाख सतरह हजार पाँच सौ) रू०मात्र

/1/2016

निदेशक
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

/1/16